my city

देहरादून | शुक्रवार • 03.05.2024

अमर उजाला 02

amarujala.com/roorkee

अब दो साल में मिलेगी एलएलएम की डिग्री

यूटीयू ने 2013 से चल रहा एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम किया बंद, विधि शिक्षा में सुधार के लिए लिया गया फैसला

अंकित गर्ग

देहरादून। अब नए सत्र में एलएलएम की डिग्री एक साल में नहीं मिलेगी। कारण यह है कि अन्य प्रदेशों की ही तरह वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने इसमें संशोधन करते हुए दो वर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया है।

संस्थानों द्वारा एक वर्षीय एलएलएम के कठिन मानकों को पूरा नहीं कर पाने और शैक्षिक गुणवत्ता को नजरअंदाज करने के चलते विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया है।

अमर उजाला एक्सक्लूसिव

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज (सीपीजीएलएस) के तहत 2013 से एलएलएम का एक वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया गया था। लंबे समय से एक वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत मानकों का पालन नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्योंकि एक वर्षीय पाठ्यक्रम की शर्तों के अनुरूप विवि और कॉलेजों मानकों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे थे।

यूटीयू के कुलपति डॉ. ओंकार सिंह।

मानकों के तहत ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना था। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के 70 प्रतिशत अंक जबकि शेष 30 प्रतिशत अंक कार्य अनुभव और प्रकाशन आदि के आधार पर तय होने थे। इसके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा था।

इसके अलावा भौतिक संसाधनों में ऑनलाइन टूल्स के साथ लाइब्रेरी, शिक्षण अनुसंधान के लिए टेली कांफ्रेंसिंग और तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों की सुविधा आदि की भी अनिवार्यता थी। इन्हें लेकर धरातल पर स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसी बीच 2023 में यूटीयू एक्ट में संशोधन किया गया।

इसमें यूटीयू को लीगल एजुकेशन से संबंधित अधिकार हासिल हुए। इसके बाद यूटीयू ने दो वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया।

विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. ओंकार सिंह ने बताया कि एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शैक्षिक गुणवत्ता की पूरी तरह अनदेखी हो रही थी। इससे छात्रों को भारी नुकसान हो रहा था।

अन्य प्रदेशों में भी दो वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। अब नए सत्र से यूटीयू में भी दो वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम लागू होगा। इसके लिए सिलेबस समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यूटीयू से जुड़े सभी विधि कॉलेजों में नई व्यवस्था लागू होगी।

उन्होंने बताया कि कुमाऊं विवि, जामिया और लखनऊ विवि समेत सभी जगहों पर दो वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हैं। जबकि बीएचयू में दोनों मोड में पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। संवाद

हर पांच छात्रों पर एक प्रोफेसर की नियुक्ति के थे मानक

एक वर्षीय एलएलएम के पाठ्यक्रम में फैकल्टी के लिए भी कड़े मानक निर्धारित किए गए थे। इसके तहत एलएलएम में प्रत्येक पांच छात्रों पर एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी अनिवार्य थी। लेकिन कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे थे।